

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-29-07-2025

विषय :- राजस्व महा-अभियान (16 अगस्त, 2025 से 20 सितम्बर, 2025) के संचालन के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों/भू-धारियों को एतद् संबंधी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ यथा- दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, भू-लगान इत्यादि प्रदान की जा रही है। इन ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आम रैयतों/भू-धारियों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जाता है।

2. ज्ञातव्य हो कि भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण के अंतर्गत ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन की कार्रवाई सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। यह जनहित एवं राज्य के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। रैयतों/भू-धारियों से दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन हेतु याचिका/आवेदन प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा के अंदर इसका निष्पादन किया जाना अपेक्षित है। इन दोनों प्रक्रियाओं में प्रगति से विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सुविधा होगी एवं आपत्तियाँ कम प्राप्त होगी।

3. जमाबंदी पंजियों के डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ ऑनलाइन/डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ/लोप रह गयी है। ऐसे मामले स्वतः संज्ञान में आने अथवा रैयतों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी के स्तर से विभागीय परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के अनुसार जाँचोपरांत सुधार की कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद जमाबंदी में परिलक्षित अशुद्धियों/लोप को दूर नहीं किये जाने के संबंध में रैयतों द्वारा बड़ी संख्या में परिवाद पत्र/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था में जानकारी के अभाव में कई रैयत आवेदन नहीं कर पाते हैं अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन करते हैं, जिसके कारण मामले का निष्पादन नहीं हो पाता है। कई मामलों में

जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके नाम से ही जमाबंदी चलती रहती है जबकि उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल-खारिज हो जाना चाहिए। संयुक्त संपत्ति के मामले में भी मौखिक बँटवारा के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण भी भूमि विवाद के मामले बढ़ते हैं।

इसके आलावा कतिपय जमाबंदी ऐसी हैं, जो ऑफलाइन जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज थी, परन्तु वे भूलवश ऑनलाइन नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में परिलक्षित त्रुटियों का निराकरण तथा उत्तराधिकार/बँटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन करने की कार्रवाई हेतु अभियान चलाकर कैम्प मोड में आवेदन प्राप्त करना आवश्यक है।

4. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के त्वरित निराकरण करने, छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन करने एवं उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) अथवा संयुक्त संपत्ति के बँटवारे की स्थिति में नामांतरण की कार्रवाई हेतु दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा-अभियान का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करने एवं आम रैयतों/भू-धारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण हेतु परिमार्जन (खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि में सुधार) तथा उत्तराधिकार (Inheritance Mutation)/बँटवारा नामांतरण संबंधी आवेदनों को कैम्प मोड में प्राप्त किया जाना है।

5. राजस्व महाअभियान को तीन चरणों में विभक्त करते हुए प्रत्येक चरण में समयबद्ध ढंग से कार्य किया जाना है। संपूर्ण महाअभियान को –(i) अभियान पूर्व गतिविधियों या तैयारी का चरण , (ii) अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ अर्थात् वास्तविक क्रियान्वयन का चरण एवं (iii) अनुवर्ती गतिविधियों का चरण में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चरण में किए जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायी विभाग/ कार्यालयों/पदाधिकारियों/कर्मियों का दायित्व एवं कार्य निष्पादित करने की समय-सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

प्रथम चरण:- अभियान पूर्व गतिविधियाँ या तैयारी का चरण (दिनांक-18.07.2025 से 14.08.2025) :-

(i) विभाग के स्तर पर महा-अभियान की तैयारी दिनांक-18.07.2025 से प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी पंजी (पुरानी) के printout हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन से सभी अंचल अधिकारी जमाबंदी पंजी का Print-Out निकालेंगे एवं इसे मौजावार अलग-अलग बंडलों में रैयतों के नाम के अनुसार Alphabetically रखेंगे। समाहर्ता/अपर समाहर्ता इसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी अंचल अधिकारी द्वारा इस कार्य को दिनांक-10.08.2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।

(ii) विभाग स्तर से राज्य के सभी अपर समाहर्ता (राजस्व)/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल अधिकारियों के साथ दिनांक-30.07.2025 को V.C. का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी NIC से एक साथ अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे।

(iii) अभियान को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने हेतु प्रत्येक जिला से एक भूमि सुधार उप समाहर्ता, एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दो अंचल अधिकारी तथा एक राजस्व कर्मचारी का चयन करते हुए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, जो दिनांक- 31.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में होगा, में भाग लेने हेतु प्रत्येक जिला समाहर्ता निदेशित करेंगे। पदाधिकारियों/कर्मियों का चयन करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि वह दक्ष एवं कार्य कुशल हो, ताकि जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकें।

(iv) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी एवं कर्मी अपने-अपने जिले में जाकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला-मुख्यालय स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें अपर समाहर्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी राजस्व पदाधिकारी भाग लेंगे। यह सभी जिलों में दिनांक- 04.08.2025 से दिनांक-07.08.2025 के बीच सम्पन्न किया जायेगा। प्रत्येक जिले के लिए तिथि का निर्धारण इसी अवधि में संबंधित समाहर्ता करेंगे।

(V) संबंधित अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी दिनांक-05.08.2025 से दिनांक-09.08.2025 के बीच अपने-अपने अंचल में सभी राजस्व कर्मचारी एवं सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक अंचल के लिए इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तिथि का निर्धारण समाहर्ता करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक अंचल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य स्तर से प्रशिक्षित एक पदाधिकारी एवं जिला के एक वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहें।

(vi) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किए गए पोर्टल पर प्रत्येक अंचल अधिकारी दिनांक-12.08.2025 तक Micro Plan Upload करेंगे। एक Model Micro Plan विभाग द्वारा सभी अंचलों का उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक अंचल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिनांक-10.08.2025 से दिनांक-12.08.2025 के बीच अनिवार्य रूपेण Microplan तैयार कर लें।



Microplan इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रत्येक मौजा में घर-घर जाने हेतु दो कर्मियों का एक दल हो, जो Alphabetical Order में उपलब्ध रैयतों की सूची के आधार पर जमाबंदी पंजी एवं आवश्यकतानुसार आवेदन प्रपत्र तथा Pamphlet का वितरण करेंगे।

(vii) सभी समाहर्ता राजस्व महा-अभियान से संबंधित जिला स्तरीय आदेश उपरोक्त निदेशों के आलोक में निर्गत करेंगे। यह आदेश दिनांक-10.08.2025 से दिनांक-12.08.2025 तक निर्गत कर दिया जाय एवं इसकी प्रति भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

समाहर्ता द्वारा जिला स्तरीय / अनुमंडल स्तरीय एवं अंचल स्तरीय पर्यवेक्षण दल का गठन करते हुए आदेश में समाविष्ट किया जाएगा। जिला स्तरीय दल में अपर समाहर्ता एवं बंदोवस्त पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय दल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के अतिरिक्त अन्य अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, अंचल स्तरीय दल में अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी के अतिरिक्त प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया जाय।

समाहर्ता स्तर से सभी मुखियागण एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों को अपने-अपने पंचायत के पंच/सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ महा-अभियान के दौरान सक्रिय भागीदारी करने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत किया जाए।

द्वितीय चरण :- अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ :-

(i) अंचलों द्वारा बनाए गए Microplan के अनुसार प्रत्येक मौजा हेतु गठित द्वि-सदस्यीय दल द्वारा दिनांक-16.08.2025 से दिनांक-15.09.2025 के मध्य घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी प्रति/ आवेदन प्रपत्र एवं Pamphlets का वितरण किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक अंचल में पंचायत सरकार भवन या अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य सरकारी भवन में हल्कावार शिविर का आयोजन दिनांक-19.08.2025 से दिनांक-20.09.2025 तक किया जाएगा, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं वितरित प्रपत्रों के आलोक में भरे हुए आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक सहित रैयतों से प्राप्त किए जाएँगे।

(iii) प्रत्येक हल्के में शिविर के आयोजन की तिथि इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि उस हल्के के मौजे में जमाबंदी पंजी प्रति/आवेदन प्रपत्र बाँटने के उपरांत रैयतों को कम से कम तीन दिन का समय प्राप्त हो। प्रत्येक हल्का में सात दिनों के अन्तराल में दो तिथि में शिविर आयोजित की जाय। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनों की संख्या ज्यादा है तो शिविर के दिवस बढ़ाये जा सकते हैं। किसी हल्का में जब पहला शिविर आयोजित हो तब वैसे रैयत, जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, उन्हें प्रपत्र वितरित कर दिये जाय एवं अगली शिविर की तिथि में उनसे आवेदन प्राप्त कर लिया जाय।

(iv) प्रत्येक शिविर में 10 टेबल पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन Laptop एवं इंटरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर एवं आवेदन की विषयवस्तु दर्ज होगी, को तिथिवार कम्प्यूटर में संधारित करेंगे। परिमार्जन हेतु आवेदन "परिमार्जन प्लस पोर्टल" के आधार पर एवं नामांतरण/बैटवारा के लिए आवेदन Mutation Plus Portal पर Process किया जायेगा। यह प्रारंभिक जानकारी हल्का शिविर में दी जायेंगी। परन्तु, इसके बाद Processing का कार्य समेकित रूप से यथा सम्भव महा-अभियान अवधि के दौरान अथवा उसके तुरंत पश्चात किया जायेगा एवं अंचल अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर जो अनिवार्यतः सरकारी भवन या Preferably अंचल अभिलेख भवन में केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा। सभी प्राप्त आवेदनों को अनुलग्नक सहित इंट्री एवं अपलोड करने का कार्य विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा। भौतिक रूप से प्राप्त पत्रों का बंडल बनाकर उस पर तिथि, शिविर का नाम एवं कुल आवेदनों की संख्या लिखकर एवं हस्ताक्षरित कर शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे।

उपर्युक्त बिन्दु (i), (ii), (iii) एवं (iv) के संबंध में विस्तृत निदेश प्रशिक्षण के दौरान दिया जायेगा।

(v) प्रत्येक शिविर के प्रभारी के रूप में राजस्व कर्मचारी कार्य करेंगे।

(vi) प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन पोर्टल पर इंट्री करने का दायित्व शिविर प्रभारी का होगा। अपर समाहर्ता प्रति दिन एक समेकित प्रतिवेदन विभाग को संध्या 6.00 बजे तक ऑन-लाइन इंट्री के माध्यम से भेजेंगे। यह पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में होगा।

(vii) शिविर में भी अवितरित आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी प्रति तथा पैम्फलेट रखे जाएंगे। अवितरित आवेदन प्रपत्रों की संख्या पंचायतवार अंचल अधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी एवं पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि घर-घर वितरण के दौरान रैयतों की अनुपस्थिति या अन्य कारण से अवितरित जमाबंदी पंजी की प्रति/आवेदन शिविर में आने पर उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

तृतीय चरण:- अनुवर्ती गतिविधियाँ :- दिनांक-21.09.2025 से दिनांक-30.10.2025 के मध्य शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराया जाएगा।

6. प्रचार-प्रसार- विभागीय मीडिया कोषांग द्वारा अखबार/टीवी ऐड/रेडियो जिंगल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। मीडिया कोषांग के प्रभारी प्रचार-प्रसार हेतु विस्तृत कार्य योजना तथा विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर अपर मुख्य सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रत्येक समाहरणालय एवं अंचल में एक-एक होर्डिंग लगाकर एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की

बैठक कर महाअभियान का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त Bulk Messaging द्वारा भी महा-अभियान को प्रचारित किया जाय।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व महा-अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को भी निदेशित किया जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-2786(9A)/रा०,

पटना-15, दिनांक- 29-07-2025

प्रतिलिपि:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-2786(9A)/रा०,

पटना-15, दिनांक- 29-07-2025

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-2786(9A)/रा०,

पटना-15, दिनांक- 29-07-2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/ सहायक निदेशक-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी (विभाग में प्रतिनियुक्त)/विभागीय आई० टी० प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

राजस्व महा-अभियान (दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025)

दैनंदिनी प्रतिवेदन (उत्तराधिकार/बैंटवारा आधारित नामांतरण)

जिला का नाम-				दिनांक-			
क्र०	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्व महा-अभियान (दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025)

दैनंदिनी प्रतिवेदन (परिमार्जन-डिजिटাইज्ड त्रुटिपूर्ण जमाबंदी)

जिला का नाम--				दिनांक--			
क्र०	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्व महा-अभियान (दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025)
दैनंदिनी प्रतिवेदन (परिमार्जन-छूटी हुई जमाबंदी)

जिला का नाम-				दिनांक-			
क्र०	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8